प्रारुप–30.2

योजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.417 हे0) आरक्षित वन भूमि 2.292 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि रिक्त वन पंचायत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.125 हे० अर्थात कुल (3.417 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 19-7-11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा	अध्यक्ष
2–	श्री आर0बी0 सिहं उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	सदस्य
3–	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	सदस्य / सचिव
4–	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.417 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को [illegible] [illegible] जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के [illegible]

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डुण्डा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत बनगाँव-चापड़ा-कफलाना-गमरा **मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 7.152 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... **उत्तरकाशी** .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी